न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां (राज०)
पीठासीन अधिकारी :- श्री रामनिवास मीणा (RAS)

प्र.सं. 40/18 प्रार्थना पत्र

खातेदारान

1- पूजा बाई पत्नि भैरूलाल जाति धाकड़
2- राहुल नागर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ } नाबालिग
3- किट्टू नागर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ } वलियै
वली माता पूजा पत्नि भैरूलाल जाति धाकड़
निवासी अनन्तपुरा तालाब गांव कोटा तहसील
लाडपुरा जिला कोटा (राज०) — प्रार्थीगण

बनाम

भैरूलाल पुत्र बिरजू उर्फ बिरधीलाल जाति धाकड़
निवासी गाडियां कॉलोनी एक्सीलेंट स्कूल के पास
तेल फैक्ट्री बारां जिला बारां — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थित:- 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा एड० प्रार्थी
2. " धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी एड० अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 22/12/2020

प्रार्थीगण की ओर से अर्जी हस्बमंशा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तुलसा की आराजी ख.नं. 235 रकबा 1.24 है. 250 रकबा 0.77 है., 251 रकबा 1.23 है., 830 रकबा 0.05 है. में से ख.नं. 830 रकबा 0.05 है. में 1/3 हिस्सा अप्रार्थी क्र. 1 का दर्ज है तथा शेष रकबा में अप्रार्थी भैरूलाल का 11/27 हिस्सा है। प्रार्थीगण अप्रार्थी के पत्नि व पुत्र है जिनका भैरूलाल के हिस्से की आराजियात में 1/3, 1/3 समान हिस्सा है उपरोक्त आराजियात भैरूलाल को उसके पिता बिरजू उर्फ बिरधीलाल से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी भैरूलाल शराबी, जुआरी व सट्टेबाज है जो प्रार्थीगण को खर्चा पानी भी नहीं दे रहा है तथा उसके हिस्से की आराजी माल को सट्टे व जुवा में बर्बाद करने पर तुला हुआ है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम प्रकृत्या

उप खण्ड अधिकारी
बारां

ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि दौराने दावा वादिये इस्तगासा अप्रार्थी को पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थी उसके उद्देश्य में कामयाब हो जावेगा और आराजी का बेचान कर देगा जिससे प्रार्थीगण को व्यर्थ ही विवादों में उलझना पड़ेगा तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी अतः अप्रार्थी को हिस्से की आराजियात में से प्रार्थीगण के हिस्से की आराजियात जिसका विवरण मद नं. 3 प्रार्थना पत्र को रहन, बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना गया तथा अप्रार्थी क्रमांक 1 को जवाब पेश होने तक विवादित आराजी ग्राम कुम्भा खाता सं. 237 ख.नं. 830 रकबा 0.05 हे. में भैरूलाल के हिस्से 1/3 का 2/3 तथा खाता सं. 236 ख.नं. 235 रकबा 1.24 हे., 250 रकबा 0.77 हे., 251 रकबा 1.23 हे. कुल 3.24 हे. के 1/27 हिस्से में से 2/3 हिस्से की रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा आराजी का रहन बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से वादी अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि प्रार्थिया अप्रार्थी की पत्नि है जो स्वछंद प्रवृत्ति की महिला है तथा प्रार्थिया अप्रार्थी को विवाह के बाद से ही परेशान करती चली आ रही है तथा उसके द्वारा अप्रार्थी के पुत्र को भी अपने परिवार को साथ निकालने के लिए उकसाती रहती तथा उसके बावजूद अप्रार्थी प्रार्थिया क्रमांक 1 की सभी बातों को सहन करता रहा तथा प्रार्थिया क्रमांक 1 अप्रार्थी को हमेशा दबाव डालती थी कि कोटा वाला मकान बेचकर कोटा में मकान लो तभी तुम्हारे साथ रहूंगी इस पर अप्रार्थी ने कहा का बिगाड़ इसलिए आपका गाड़िया कॉलोनी

1/3/11/4
उप खण्ड अधिकारी

(3)

भाइयों ने मिलकर मकान को बेचान करके उक्त राशि से एक मकान कोटा में क्रय, अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थिया संख्या 1 के नाम से एक मकान खरीद कर उसमें रहते हैं [illegible] प्रार्थिया संख्या 1 व पुत्रवधू [illegible] ने अप्रार्थी के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया तब से अप्रार्थी [illegible] के साथ [illegible] के साथ किराये के मकान में निवास कर रहा है। प्रार्थिया संख्या 1 [illegible] की आदि व ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है जिससे उसे अच्छी खासी [illegible] से भी ज्यादा की आय प्राप्त होती है और प्रार्थिया संख्या 1 [illegible] भी करती है जिससे भी उसे 15000 रु. की आय प्रतिमाह होती है। इसके बावजूद भी प्रार्थिया संख्या 1 अप्रार्थी को नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थिया संख्या 1 की कुल 35000 रु. प्रतिमाह आय प्राप्त होती है। अप्रार्थी उक्त वर्णित जायदाद [illegible] का हिस्सेदार है इस कारण अप्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनी आवश्यक नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त कथन [illegible] विशेष कथन:- [illegible] प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को [illegible] कथन किया कि विवादित जायदाद अप्रार्थी को उसके पिता से प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी पुजारी व सेवादार है जो प्रार्थीगण को खर्चा भी नहीं देता है तथा जायदाद को जुए व सट्टे में बर्बाद करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी के विरुद्ध जारी की गई एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को तामील बाद पुष्ट नहीं किया जाता है तो अप्रार्थी जायदाद को रहन बेचान भी कर सकता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को तामील बाद पुष्ट किया जावे।

[illegible] 4
[illegible] अधिकारी

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थिया स्वच्छंद प्रवृत्ति की है जो अप्रार्थी को विवाह के बाद से ही परेशान कर रही है पहले भी अप्रार्थी से प्रार्थिया ने अपने परिवार को राशि दिलवाने के लिए जमीन बिकवा दी तथा बारां गाड़िया कॉलोनी में स्थित अप्रार्थी का मकान बिकवा दिया तथा उसके नाम से कोटा में मकान खरीदकर उसमें रहने लगी। जब प्रार्थिया व प्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी के साथ मारपीट की व बारां भगा दिया तभी से अप्रार्थी बारां में अपनी वृद्ध माता के साथ किराये के मकान में निवास कर रहा है। प्रार्थिया कोटा में उसके नाम से कुन्हाड़ी मकान में साड़ी व जनरल स्टोर की दुकान चलाती है तथा मेडिकल कॉलेज कोटा में नौकरी भी करती है जिससे प्रार्थिया को 35 हजार रुपये प्रतिमाह की आय होती है। अप्रार्थी खातेदार कृषक है जिसके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी मिसल खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण का विवादित आराजियात में कोई हक हिस्सा है या नहीं मूल वाद में विचारण का बिन्दु है, परन्तु खातेदार कृषक के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं न्यायालय के दिनांक 13/6/2018 को जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

निर्णय हमारे द्वारा दिनांक 22/12/20 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रामकिशन मीणा)
उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner